

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 1411/2024

-
1. शशि शेखर ओझा पिता- स्वर्गीय दादन ओझा निवासी- ग्राम- बरका सिंघनपुरा, पी.एस.- सिमरी, जिला-बक्सर।
 2. पूनम देवी पति- स्वर्गीय ओम प्रकाश झा निवासी -गाँव-बरका सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
 3. मोसमात पुष्पादेवी, पति- स्वर्गीय श्री राम ओझा निवासी- ग्राम-बरका सिंघनपुरा, पी. एस.- सिमरी, जिला-बक्सर।
 4. मनोज ओझा, माँ- पुष्पा देवी, स्वर्गीय श्री राम ओझा की संतान, निवासी गाँव-बरका सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर
 5. मार्कण्डेय ओझा, पिता- - स्वर्गीय दादन जी ओझा निवासी- ग्राम-बरका सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
 6. धनपाल ओझा, पिता- - स्वर्गीय परशुराम ओझा, निवासी ग्राम-बरका सिंघनपुरा, पी. एस.- सिमरी, जिला-बक्सर।
 7. मिंदू पांडे, पति-- मदन पांडे निवासी- गाँव और पी. एस. गोनौर, जिला गाज़ीपुर, यू. पी.
 8. रेनू पांडे पति-- काधन कांत पांडे, निवासी- गांव और पी. एस. गोनौर, जिला-गाज़ीपुर, यू. पी.
 9. सुनीता पांडे पति- सुनील पांडे निवासी- गाँव और पी. ओ.-खरंगझार, पी. एस. टेल्को, जिला-जमशेदपुर।
 10. सनोज ओझा पिता- स्वर्गीय श्री राम ओझा, निवासी- ग्राम-बरका सिंघनपुरा, पी. एस.- सिमरी, जिला-बक्सर।
 11. सावित्री देवी पति- डिंडियाल ओझा, निवासी- गाँव और पी.ओ.-बरका, सिंघनपुरा, पी.एस.- सिमरी, बक्सर।
 12. पूजा देवी पिता- ी- श्री राम ओझा निवासी- गाँव और पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
 13. संजय कुमार ओझा @संजय ओझा पिता- दिन दयाल ओझा निवासी- ग्राम-बरका सिंघनपुरा।
 14. विजय कुमार ओझा पिता- डिंडियाल ओझा, निवासी- ग्राम-बरका सिंघनपुरा, पी. एस.- सिमरी, जिला-बक्सर।

15. जांगली ओझा पिता- स्वर्गीय बबन ओझा निवासी- ग्राम बरका सिंघनपुरा, और पी. एस.- सिमरी, जिला-बक्सर।
16. बिमला देवी, पति - स्वर्गीय राजगृह ओझा, निवासी- गाँव बरका सिंघनपुरा और पी. एस.- सिमरी, जिला-बक्सर।
17. अभिषेक ओझा @टुनटुन ओझा पिता- स्वर्गीय राजग्रिही ओझा निवासी-ग्राम बरका सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
18. बाबुल कुमारी, पिता- ि- स्वर्गीय राजग्रिही ओझा, निवासी छोटा सिंघनपुरा, पी. एस.- सिमरी, जिला- बक्सर।
19. नेपाल ओझा पिता- स्वर्गीय परशुराम ओझा, निवासी- ग्राम बरका सिंघनपुरा और पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
20. चंद्रदीप ओझा पिता- स्वर्गीय बबन ओझा निवासी- ग्राम-बरका सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला बक्सर।
21. सियाराम ओझा पिता- स्वर्गीय नंद किशोर ओझा निवासी- ग्राम-बरका सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
22. गोपाल जी ओझा, पिता- - स्वर्गीय परशुराम ओझा, निवासी ग्राम-बरका सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।

..... याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. पुष्पा देवी पति - स्वर्गीय अनिल कुमार ओझा निवासी छोटा सिंघनपुरा, रानी सिंघनपुरा, पी. एस. सिंघनपुरा, जिला-बक्सर 802120 ।
2. स्वरंगी दुबे पिता- स्वर्गीय अनिल कुमार ओझा, और श्री राजीव दुबे की पति- निवासी- 155 वंदना एन्क्लेव खोरा कॉलोनी, गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद (यू. पी.) 201001 ।
3. अनीश ओझा, पिता- - स्वर्गीय अनिल कुमार ओझा, निवासी- 388/7 उपेन बनर्जी रोड, बहाला फ्लाईंग क्लब बेहाला, पर्णश्री पल्ली, कोलकाता (डब्ल्यू. बी.) 700060 ।
4. चंदन कुमार ओझा पिता- स्वर्गीय अनिल कुमार ओझा, निवासी- छोटका सिंघनपुरा, रानी सिंघनपुरा, पी. एस. सिंघनपुरा, जिला बक्सर 802120 ।
5. मिथ्यलेश ओझा पिता- स्वर्गीय शिव मंदिर ओझा, निवासी- छोटा सिंघनपुरा, पी. एस.- सिमरी, जिला-बक्सर।

6. नंद कुमारी देवी पति- स्वर्गीय केदार ओझा, निवासी- छोटा सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
7. हरेंद्र ओझा (बालिग)पिता- स्वर्गीय केदार ओझा निवासी- छोटका सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
8. नागेंद्र ओझा (बालिग), पिता- स्वर्गीय केदार ओझा निवासी-छोटा सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
9. निर्मला देवी (बालिग) पिता- स्वर्गीय केदार ओझा निवासी- छोटका सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
10. मीना देवी (बालिग) पिता- स्वर्गीय केदार ओझा निवासी- छोटका सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
11. कमलावती देवी पति- शिव कुमार दुबे, पिता- ि- शिव मंदिर ओझा निवासी- कुल मान फर, पी. एस.-मुरार, जिला-बक्सर।
12. मधु देवी पति-- अनूप चौबे, पिता- ी- स्वर्गीय शिव मंदिर ओझा, निवासी- जाफली गंज, बलिया, पी. एस. बलिया (टाउन), जिला-बलिया।
13. मोसमात सावित्री देवी, पति-- स्वर्गीय मिथलेश ओझा, निवासी- बरका, सिंघानपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
14. मनोज कुमार ओझा पिता- स्वर्गीय मिथलेश ओझा निवासी- बरका, सिंघानपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
15. शशि कांत ओझा पिता- स्वर्गीय मिथलेश ओझा निवासी- बरका, सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
16. अमरेंद्र कुमार ओझा पिता- स्वर्गीय मिथलेश ओझा, निवासी- सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
17. सरोज देवी पिता- स्वर्गीय मिथलेश ओझा, पति-- अरुण कुमार उपाध्याय निवासी- ग्राम-नराही, पी. एस.-नराही, जिला-बलिया, राज्य-यू. पी.
18. मोसमात सुनीता पति- स्वर्गीय वेंकटेश ओझा आर/ओ बरका सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
19. सालतू ओझा पिता- स्वर्गीय वेंकटेश ओझा निवासी- बरका सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।

20. शिव नंदन ओझा पिता- स्वर्गीय राम ब्याहर ओझा, निवासी- बरका सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
21. गीता देवी पति- स्वर्गीय हरिनंदन ओझा, निवासी- बरका सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
22. राम बिहारी ओझा पिता- स्वर्गीय जंग ओझा निवासी- बरका सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
23. सूर्य नारायण ओझा पिता- स्वर्गीय जंग ओझा, निवासी- बरका सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
24. हरे नारायण ओझा पिता- स्वर्गीय जंग ओझा, निवासी- बरका सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
25. विद्या सागर ओझा (नाबालिग) पिता- स्वर्गीय अवध बिहारी ओझा, निवासी- बरका सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
26. हरेराम ओझा (नाबालिग) पिता- लाल मोहर ओझा निवासी- बरका सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
27. बृज बिहारी ओझा पिता- ढेला ओझा निवासी- बरका सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
28. मुन्ना ओझा पिता- ढेला ओझा निवासी- बरका सिंघनपुरा, पी. एस.-सिमरी, जिला-बक्सर।
29. स्वामीनाथ मिश्रा पिता- खेडन मिश्रा निवासी- गाँव-परसौंडा, पी. एस.-शाहपुर, जिला-भोजपुर।
30. काशीनाथ मिश्रा पिता- खेडन मिश्रा निवासी- गाँव-परसौंडा, पी. एस.-शाहपुर, जिला-भोजपुर।
31. हरेराम मिश्रा पिता- स्वामीनाथ मिश्रा निवासी- गाँव-परसौंडा, पी. एस.-शाहपुर, जिला-भोजपुर।
32. जयराम मिश्रा पिता- -स्वामीनाथ मिश्रा निवासी- गाँव-परसौंडा, पी. एस.-शाहपुर, जिला-भोजपुर।
33. भरत मिश्रा पिता- -स्वामीनाथ मिश्रा निवासी- गाँव-परसौंडा निवासी-, पी. एस.-शाहपुर, जिला-भोजपुर।
34. बच्चा मिश्रा पिता- -स्वामीनाथ मिश्रा निवासी- गाँव-परसौंडा, पी. एस.-शाहपुर, जिला-भोजपुर।

35. लक्ष्मण मिश्रा पिता- काशीनाथ मिश्रा निवासी- गाँव-परसौंदा, पी. एस.-शाहपुर, जिला-भोजपुर।
36. बसिष्ठा मिश्रा पिता- राम एकबल मिश्रा निवासी- गाँव-परसौंदा, पी. एस.-शाहपुर, जिला-भोजपुर।
37. गजधर मिश्रा पिता- कान्हजी मिश्रा निवासी- गाँव-परसौंदा, पी. एस.-शाहपुर, जिला-भोजपुर।
38. राजगृह मिश्रा पिता- जगन्नाथ मिश्रा निवासी- गाँव-परसौंदा, पी. एस.-शाहपुर, जिला-भोजपुर।
39. रामग्रिही मिश्रा पिता- जगन्नाथ मिश्रा निवासी- गाँव-परसौंदा, पी. एस.-शाहपुर, जिला-भोजपुर।
40. नारद मिश्रा पिता- फागू मिश्रा निवासी- गाँव-परसौंदा, पी. एस.-शाहपुर, जिला-भोजपुर।
41. श्री भगवान मिश्रा पिता- राम बदन मिश्रा निवासी- गाँव-परसौंदा, पी. एस.-शाहपुर, जिला-भोजपुर।
42. बच्चा नाम ज्ञात नहीं पिता- राम बदन मिश्रा निवासी- गाँव-परसौंदा, पी. एस.-शाहपुर, जिला-भोजपुर।
43. देवेंद्र मिश्रा पिता- सूर्य बदन मिश्रा निवासी- गाँव-परसौंदा, पी. एस.-शाहपुर, जिला-भोजपुर।
44. बच्चा नाम अज्ञात नाबालिग पिता- सूर्य बदन मिश्रा निवासी गाँव-परसौंदा, पी. एस.-शाहपुर, जिला-भोजपुर।
45. रामजी मिश्रा पिता- दामरी मिश्रा निवासी- गाँव-परसौंदा, पी. एस.-शाहपुर, जिला-भोजपुर।
46. लक्ष्मण ओझा पिता- दामरी मिश्रा निवासी- गाँव-परसौंदा, पी. एस.-शाहपुर, जिला-भोजपुर।
47. शिवाजी मिश्रा पिता- हीरा मिश्रा निवासी- गाँव-परसौंदा, पी. एस.-शाहपुर, जिला-भोजपुर।
48. हरिशिकेष मिश्रा पिता- हीरा मिश्रा निवासी- गाँव-परसौंदा, पी. एस.-शाहपुर, जिला-भोजपुर।
49. शिव प्रसाद मिश्रा पिता- ब्रिजा मिश्रा निवासी- गाँव-परसौंदा, पी. एस.-शाहपुर, जिला-भोजपुर।

..... उत्तरदाता

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए

:

श्री डी. के. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता,
श्री अलेक्जेंडर अशोक, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री जितेंद्र किशोर वर्मा, अधिवक्ता,
 श्री अंजनी कुमार, अधिवक्ता,
 श्री रवि राज, अधिवक्ता,
 श्री अच्युत कुमार, अधिवक्ता,
 सुश्री श्वेता राज, अधिवक्ता
 श्री श्रेयश गोयल, अधिवक्ता

=====

सिविल प्रक्रिया संहिता---O.XXII, R. 3, 4, 8, 12----निष्पादन कार्यवाही में पक्षकारों की मृत्यु का प्रभाव----आक्षेपित आदेश को चुनौती देने के लिए याचिका जिसके द्वारा और जिसके तहत विद्वान परीक्षण न्यायालय ने मृतक-डिक्री धारक के साथ-साथ निर्णय देनदारों के नाम हटाने और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने का आदेश दिया था---याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क कि निष्पादन कार्यवाही का उपशमन हुआ है क्योंकि कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए आवेदन निर्धारित सीमा अवधि के दौरान दायर नहीं किया गया था।

निष्कर्ष: कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं है और कार्यवाही में कोई कमी नहीं है क्योंकि आदेश 22 नियम 3 और 4 निष्पादन कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं --- ओ. 22 आर. 12 के मद्देनजर, निष्पादन कार्यवाही में कोई कमी नहीं होगी और चूंकि निर्णय देनदारों के प्रतिस्थापन के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, उन्हें कार्यवाही के किसी भी चरण में रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है और यदि विद्वान निष्पादन अदालत द्वारा कोई समय सीमा प्रदान की जाती है, तो उस समय सीमा के भीतर --- जिन व्यक्तियों को उस चरण में प्रतिस्थापित करने की मांग की गई थी, उनका मुख्य प्रतियोगी निर्णय देनदारों/प्रतिवादियों प्रथम सेट या प्रतिवादियों द्वितीय सेट से कोई संबंध नहीं है और, इसलिए, निर्णय देनदारों/प्रतिवादियों प्रथम सेट या प्रतिवादियों द्वितीय सेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा --- आरोपित आदेश में कोई दुर्बलता नहीं है --- याचिका खारिज। (पैरा 8-11)

(2020) 11 एससीसी 598

.....पर भरोसा किया गया।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

गणपूर्ति: माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा

सी.ए.वी निर्णय

तारीख: 09-04-2025

वर्तमान याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा 2008 के निष्पादन मामला संख्या 05 में विद्वान अवर-न्यायाधीश -II, डुमरांव, बक्सर द्वारा पारित दिनांक 02.09.2024 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा और जिसके तहत विद्वान अवर-न्यायाधीश ने मृत-डिक्री धारक के साथ-साथ निर्णय देनदारों के नामों को हटाने और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने का आदेश दिया है। और कुछ मुद्रण संबंधी त्रुटियों को सुधारने की भी अनुमति दी गई।

02. संक्षेप में कहा गया है कि मामले के तथ्य यह हैं कि एक स्वत्व मुकदमा 1968 का स्वत्व मुकदमा संख्या 53 वादी/उत्तरदाताओं दायर किया गया था, जिसमें महेंद्र मिसिर द्वारा नंदलाल ओझा और अन्य के पक्ष में 2,500/- रुपये की राशि प्राप्त होने पर निष्पादित बंधक बांड के मोचन की डिक्री की मांग की गई थी। वादी ने आगे प्रतिवादियों के खिलाफ बंधक को भुनाने और बंधक संपत्ति का कब्जा देने का निर्देश देने की मांग की, जिसमें विफल रहने पर एक अंतिम डिक्री तैयार करने और वादी के पक्ष में कब्जे की डिलीवरी करने की मांग की गई। वादी ने दावा किया कि गिरवी रखी गई संपत्ति को प्रतिवादी 3 और 4 पक्षों के बीच विभाजित किया गया था। इसके बाद, प्रतिवादी के तीसरे और चौथे पक्ष ने दिनांकित 24.11.1964 को तीन बिक्री विलेखों के माध्यम से वादी को संपत्ति के 12 आना शेयर बेचे। वादियों ने आगे कहा कि उन्होंने बंधक राशि की पेशकश की, लेकिन प्रतिवादियों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे वादियों द्वारा दायर मुकदमा शुरू हो गया। प्रतिवादियों ने अपने लिखित बयान में तर्क दिया कि 1926 में, महेंद्र मिसिर ने कुल रु 5,000/- की दो बंधक बिलेख निष्पादित की थी, जिनमें से एक रु 2,500/- की 5.88 एकड़ के लिए थी। बंधक के समय यह सहमति हुई थी कि दोनों विलेखों को एक साथ भुनाया जाएगा। प्रतिवादी चौथा पक्ष ने पूरे 11.26 एकड़ भूमि पर खेती करना जारी

रखा और प्रतिवादी-2 पक्ष के साथ लेखा निपटान करता था। वादी की विभाजन की कहानी को प्रतिवादियों ने झूठा बताते हुए खारिज कर दिया था। प्रतिवादियों ने आगे कहा कि रामशकल मिश्रा और अन्य कभी भी संपत्ति के कब्जे में नहीं आए जैसा कि वादी द्वारा आरोप लगाया गया था और वादी के विक्रेताओं को महेंद्र मिसिर की संपत्ति बेचने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। यह भी तर्क दिया गया कि महेंद्र मिसिर ने 19.10.1940 को एक पंजीकृत वसीयत निष्पादित की थी, जिसमें वाद पत्र की अनुसूची-I, II और III में वर्णित अपनी सभी संपत्तियों को प्रतिवादी-बालेश्वर मिश्रा को दिया गया था। महेंद्र मिसिर के निधन पर, बालेश्वर मिश्रा को इस वसीयत के आधार पर उनकी संपत्ति विरासत में मिली, जिसकी अदालत द्वारा 29.05.1965 पर विधिवत प्रमाणित की गई थी। इसके बाद, बालेश्वर मिश्रा ने बिक्री के लिए एक पंजीकृत समझौते के तहत प्रतिवादियों को पूरे 11.26 एकड़ बेचने का समझौता किया। प्रतिवादियों ने आगे तर्क दिया कि बंधक को भुनाने का अधिकार वैधानिक सीमा अवधि के कारण खो गया था, क्योंकि वादी द्वारा निर्धारित समय के भीतर बंधक को भुनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे। उन्होंने तर्क दिया कि वादी द्वारा जिन बिक्री विलेखों पर भरोसा किया गया था, वे अवैध, जाली, बिना किसी विचार के थे और बिना किसी वैध अधिकार के व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किए गए थे और इस प्रकार कानून की नजर में शून्य थे। इसलिए, वादी के पास मोचन की कोई इक्विटी नहीं थी, न ही बंधक और बंधक लेने वाले का कोई संबंध था। 1968 के उक्त स्वत्व मुकदमा संख्या 53 को दिनांक 21.09.1987 के निर्णय और डिक्री के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। बर्खास्तगी से व्यथित होकर, वादी/प्रत्यर्थियों ने 1987 की स्वत्व अपील संख्या 147, विद्वान जिला न्यायाधीश, बक्सर के समक्ष दायर की, जिसमें 1968 के स्वत्व मुकदमा संख्या 53 में पारित दिनांक 21.09.1987 के निर्णय और डिक्री को चुनौती दी गई। 1987 की स्वत्व अपील संख्या 147 को दिनांक 25.08.2000 के एक फैसले द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसमें निचली अदालत के फैसले और डिक्री को उलट दिया गया था। उक्त अपीलीय निर्णय के खिलाफ, प्रतिवादियों ने 2000 की दूसरी अपील संख्या 400 को प्राथमिकता दी, जो अभी भी लंबित है। यह आगे स्पष्ट करता है कि 2000 की दूसरी अपील संख्या 400 के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थियों ने वाद भूमि की बिक्री पर बातचीत करने का प्रयास

किया और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'संहिता') के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत और 2001 की आई. ए. संख्या 2134 दायर की और इस न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। उक्त दूसरी अपील के लंबित रहने के दौरान, वादी-प्रत्यर्थियों ने एक अंतिम डिक्री तैयार करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे निचली अदालत ने 1968 के स्वत्व मुकदमा संख्या 53 में पारित आदेशानुसार दिनांक 25.07.2008 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी और एक अंतिम डिक्री तैयार की गई। अंतिम डिक्री की तैयारी से व्यथित, प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं ने 2008 की स्वत्व अपील संख्या 44 विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष दायर की। हालाँकि, उक्त अपील को चूक के लिए खारिज कर दिया गया था और इसे बहाल करने के लिए एक आवेदन लंबित है। इस बीच, वादी/प्रत्यर्थियों ने विद्वान उप-न्यायाधीश-II, डुमरांव, बक्सर की अदालत के समक्ष 2008 का निष्पादन मामला संख्या 05 दिनांकित 25.08.2000 के निर्णय और डिक्री के निष्पादन के लिए स्थापित किया। 1968 के मुकदमा संख्या 53 में अंतिम आदेश 12.08.2008 को पारित किया गया था, जिसमें कई व्यक्तियों के नाम शामिल किए गए थे, जिनमें से कुछ को नाबालिगों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। डिक्री धारकों ने दिनांक 30.05.2024 के एक आवेदन के माध्यम से कुछ नामों को प्रतिस्थापित करके निष्पादन सूची में संशोधन करने की मांग की, हालांकि उक्त आवेदन को दिनांक 01.08.2024 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, जिसे विद्वान अवर-न्यायाधीश द्वितीय, डुमरांव, बक्सर द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद, डिक्री धारक ने दिनांक 14.08.2024 के एक आवेदन के माध्यम से, अन्य व्यक्तियों के साथ नाबालिगों सहित कुछ नामों को प्रतिस्थापित करके निष्पादन सूची में संशोधन करने की मांग की। इस आवेदन को 02.09.2024 दिनांकित आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी और इसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

03. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि डिक्री धारकों/वादियों/उत्तरदाताओं ने पहले कुछ निर्णय देनदारों के नाम हटाने के लिए संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 22 नियम-4 के तहत दिनांक 30.05.2024 का आवेदन दायर किया था, जिसे विद्वान निष्पादन अदालत द्वारा दिनांक 01.08.2024 के आदेश के माध्यम से

खारिज कर दिया गया था। दूसरा आवेदन दायर करने के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं मांगी गई थी या नहीं दी गई थी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि आक्षेपित आदेश अन्यायपूर्ण है क्योंकि यह अदालत द्वारा पारित डिक्री के दायरे से परे है और फरमानों के निष्पादन को नियंत्रित करने वाले तय किए गए कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। डिक्री ने अंतिमता प्राप्त कर ली थी और इस स्तर पर डिक्री में कोई भी परिवर्तन उस निर्णय के संशोधन के बराबर होगा जो बाध्यकारी और निष्पादन योग्य है। विद्वत निष्पादन न्यायालय ने कुछ निर्णय देनदारों के लिए उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन की अनुमति दी, भले ही कानूनी उत्तराधिकारियों को या तो पहले से ही मूल मुकदमे में प्रतिनिधित्व किया गया था या जानबूझकर बाहर रखा गया था और विद्वत निष्पादन न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि निष्पादन के चरण में ऐसे संशोधन कानून के तहत अस्वीकार्य हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान अवर-न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश पारित करने में, एक निष्पादन अदालत के अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है और डिक्री को ही बदलने वाले संशोधन की अनुमति दी है। डिक्री में किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन विद्वान निष्पादन अदालत ने इसकी अनुमति दी और इसलिए, आक्षेपित आदेश खराब, निष्क्रिय और कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।

04. अपने निवेदन के समर्थन में, वरिष्ठ वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय **टी. ज्ञानवेल बनाम टी. एस. कनगराज और अन्य का मामला, जो की ए.आई.आर. 2009 एस. सी. 2367** में प्रकाशित किए गए थे का उल्लेख किया कि निचली अदालत द्वारा इस मुद्दे पर पारित डिक्री कानून की नजर में अमान्य थी क्योंकि प्रतिवादी की मृत्यु मुकदमे के लंबित रहने के दौरान हुई थी और वादी के कहने पर निर्णय सुनाए जाने से पहले प्रतिवादी के उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कोई छूट नहीं मांगी गई थी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि विद्वान निष्पादन न्यायालय ने सीमा और उपशमन के पहलू को ध्यान में नहीं रखा। इस प्रकार, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश टिकाऊ/धारणीय नहीं है और इसे रद्द करने की आवश्यकता है।

05. वादियों/उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने शुरुआत में प्रस्तुत किया कि निष्पादन मामलों में सीमा के कानूनों का कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया जो **वी. उथिरापति बनाम अशराब अली और अन्य** का मामला जो की (1998) 3 एस. सी. सी. 148, में प्रकाशित किया गया है, में दिया गया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि डिक्री धारक या निर्णय देनदार की मृत्यु निष्पादन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान होती है, तो मृतक के कानूनी प्रतिनिधि को अभिलेख पर लाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और उन्हें किसी भी समय में अभिलेख पर लाया जा सकता है, और निष्पादन कार्यवाही कम नहीं होगी लेकिन लंबित रहेगी। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि संहिता के आदेश 22 नियम-12 में यह स्पष्ट किया गया है कि संहिता के आदेश 22 के नियम 3,4 और 8 डिक्री या आदेश के निष्पादन में कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे। इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि डिक्री धारक की मृत्यु या अनुपस्थिति के मामले में भी, निष्पादन कार्यवाही को चूक में खारिज नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले पर टिके रहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि याचिकाकर्ता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि जिन व्यक्तियों को प्रतिस्थापित करने की मांग की जा रही है, वे गिरवी करने वालों के परिवार के हैं और गिरवी रखने वाले के परिवार के सदस्य नहीं हैं। घटनाओं के कालक्रम को याद करते हुए, विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता प्रतिवादियों प्रथम सेट/निर्णय देनदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिनांक 02.09.2024 के आक्षेपित आदेश द्वारा, विद्वत निष्पादक ने कुछ मृत डिक्री धारकों और निर्णय देनदारों को हटाने और/या प्रतिस्थापित करने और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन के साथ-साथ कुछ टंकण संबंधी त्रुटियों और कुछ पक्षों की नाबालिग की स्थिति को सुधारने का आदेश दिया है, जिन्होंने निष्पादन मामले के प्रभावी निर्णय और निपटान के लिए जहां भी आवश्यक हो, बहुमत प्राप्त कर लिया है। विद्वान वकील ने जोर देकर कहा कि जहां तक मुख्य प्रतिद्वंद्वी निर्णय देनदार/प्रतिवादी प्रथम सेट हैं संबंधित रूप से, वे आक्षेपित आदेश से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होने जा रहे हैं और उन्हें वर्तमान दीवानी विविध याचिका में इस न्यायालय से संपर्क करने का कोई अधिकार

नहीं है क्योंकि वे प्रभावित पक्ष नहीं हैं। विद्वान वकील ने आगे कहा कि निष्पादन का मामला नंदलाल ओझा और अन्य लोगों के पक्ष में महेन्द्र मिसिर द्वारा निष्पादित दिनांकित 03.07.1926 के दो बंधक विलेखों को भुनाने के लिए दायर एक मोचन मुकदमे से उत्पन्न होता है। मुकदमे के वादियों ने दावा किया कि उन्होंने गिरवीदार के हित का बड़ा हिस्सा खरीदा है और मोचन के लिए वर्तमान मुकदमा दायर किया है जिसमें प्रतिवादियों के पाँच समूह थे जिनमें से प्रतिवादी प्रथम और द्वितीय समूह गिरवीदार के हित का प्रतिनिधित्व करते थे जबकि प्रतिवादी तृतीय, चतुर्थ और पाँचवें समूह मूल गिरवी करने वाले के हित का प्रतिनिधित्व करते थे और मुकदमे को 1968 के स्वत्व मुकदमा संख्या 53 के रूप में गिना गया था। प्रतिवादी प्रथम सेट ने मुकदमे का विरोध किया और उक्त मालिकाना हक का मुकदमा 21.09.1987 पर खारिज कर दिया गया। 1968 के स्वत्व मुकदमा संख्या 53 के निर्णय और डिक्री के खिलाफ 1987 की संख्या 147 वाले वादी/उत्तरदाताओं द्वारा दायर स्वत्व अपील को 25.08.2000 पर अनुमति दी गई थी और प्रारंभिक डिक्री पारित की गई थी। उक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित, प्रतिवादी प्रथम सेट और अन्य ने 2000 की दूसरी अपील संख्या 400 दायर की, जो अभी भी इस न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है। 1968 के स्वत्व मुकदमा संख्या 53 में, अंतिम आदेश 12.08.2008 को तैयार किया गया था, और उसी के निष्पादन के लिए, 2008 का निष्पादन मामला संख्या 05 दायर किया गया है और अभी भी लंबित है। उक्त दूसरी अपील में, संहिता के आदेश 39, नियम 1 और 2 के तहत निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन दायर किया गया था और वाद संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक आदेश पारित किया गया था और विद्वान अधीनस्थ अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई थी और इस तथ्य को बाद में इस अदालत द्वारा दूसरी अपील में ही स्पष्ट कर दिया गया था। इसलिए, दूसरी अपील में पारित आदेश निष्पादन अदालत को कार्यवाही से नहीं रोकते हैं और इस अदालत द्वारा निष्पादन कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं है। वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने पहले 21.05.2011 पर संहिता की धारा 47 के तहत डिक्री की निष्पादन क्षमता पर आपत्ति जताते हुए और निष्पादन मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की थी। लेकिन उक्त आवेदन को दिनांकित 03.09.2016 आदेश के

माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया और उक्त आदेश अंतिम हो गया क्योंकि इसे चुनौती नहीं दी गई थी। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि 2008 की स्वत्व अपील संख्या 44 में और दूसरी अपील में आगे का विकास हुआ जिसमें 2008 की स्वत्व अपील संख्या 44 को चूक में खारिज कर दिया गया था और निष्पादन कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को वापस ले लिया गया है।

06. वादी/उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि दिनांक 14.08.2024 के आवेदन को दाखिल करने से पहले, डिक्री धारकों/वादियों/उत्तरदाताओं ने निर्णय देनदार संख्या- 33, 34, 44, 55 और 64 के नामों को हटाने के लिए 30.05.2024 पर एक याचिका दायर की, लेकिन विद्वत निष्पादन अदालत ने दिनांकित 01.08.2024 आदेश के माध्यम से याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि नामों को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि इस संबंध में कोई प्रतिस्थापन याचिका दायर नहीं की गई है और इसके बाद, डिक्री धारकों ने दिनांकित 14.08.2024 याचिका दायर की, जिसमें प्रतिस्थापन आदि की मांग की गई है। जिस पर दिनांक 02.09.2024 को आरोपित आदेश पारित किया गया है और वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में निर्णीत विषय (रेस-ज्यूडिकाटा) लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है। विद्वान वकील ने दोहराया कि जहां तक मुख्य प्रतिद्वंद्वी निर्णय देनदारों/प्रतिवादियों के पहले समूह का संबंध है और यहां तक कि प्रतिवादियों के दूसरे समूह के संबंध में भी कोई प्रतिस्थापन नहीं है क्योंकि यह निर्णय देनदार संख्या 33, 34, 44, 55 और 64 से संबंधित है, जो प्रतिवादीयो के 3 वें, 4 वें और 5 वें सेट से संबंधित हैं, जिन्होंने मुकदमे का विरोध नहीं किया है और इस तरह, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी 1 वें सेट या यहां तक कि अन्य बंधक निर्णय देनदार/प्रतिवादी 2 वें सेट किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होने वाले हैं। विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने पहले 2023 का सिविल विविध क्षेत्राधिकार सं. 840 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसे वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था। लेकिन, वापस लेने की अनुमति देते हुए, यह अदालत विद्वान अवर-न्यायाधीश -III, डुमरांव, बक्सर को राहुल एस शाह बनाम जिनेंद्र कुमार गांधी और अन्य, जो (2021) 6 एस. सी. सी. 418 में प्रकाशित किया गया है के मामले में माननीय

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में 2008 के निष्पादन मामले संख्या 05 का तेजी से और अधिमानतः छह महीने की अवधि के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया। लेकिन, निर्णय देनदारों/याचिकाकर्ताओं ने यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि कब्जे का वितरण प्रभावित न हो, क्योंकि उन्होंने कब्जे के वितरण में बाधा डालने के लिए कई याचिकाएं दायर की हैं और यहां तक कि कई व्यक्तियों/बाहुबलियों को इकट्ठा करके कब्जे के वितरण में बाधा उत्पन्न की है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं को न्यायालय की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति दी जाती है, तो उत्तरदाताओं/डिक्री धारकों को डिक्री का फल कभी नहीं मिलेगा, जो वर्ष 1926 के बंधक के मोचन की मांग करने वाले वर्ष 1968 के मुकदमे से उत्पन्न होता है। इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश में कोई कमजोरी नहीं है और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

07. मैंने पक्षों के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतिकरण पर विचारपूर्वक विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

08. जहां तक मुकदमे के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी की मृत्यु के कारण डिक्री के अमान्य होने के बारे में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्क का सवाल है, याचिकाकर्ताओं ने पहले डिक्री की निष्पादनीयता पर आपत्ति जताई थी और 03.09.2016 के आदेश के तहत प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था और उक्त आदेश अंतिम रूप से मान्य हो गया था। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को इस स्तर पर डिक्री की निष्पादनीयता के मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं है।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील की दलील का जोर मुख्य रूप से इस बात पर है कि यदि कुछ डिक्री धारकों और निर्णय देनदारों को निर्धारित समय के भीतर रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है, तो निर्धारित सीमा अवधि के दौरान उपशमन हो रहा है और आवेदन दायर नहीं किया जा रहा है। यह तर्क पूरी तरह से योग्यता से रहित है क्योंकि यह कानून के विशिष्ट प्रावधान के खिलाफ है। संहिता का आदेश XXII नियम-12 प्रासंगिक प्रावधान है, जो इस प्रकार है:

“12. कार्यवाही के लिए आदेश का आवेदन I— नियम 3,4 और 8 में कुछ भी डिक्री या आदेश के निष्पादन की कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।”

09. उपर्युक्त प्रावधान यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं है और कार्यवाही में कोई कमी नहीं है क्योंकि आदेश 22 नियम 3 और 4 निष्पादन कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **वरदराजन बनाम कनकवल्ली और अन्य** के मामले में (2020) 11 एससीसी 598 में स्थिति स्पष्ट की है और उक्त निर्णय के पैराग्राफ-8 को संदर्भ के लिए उद्धृत किया गया है:

“8. हम कह सकते हैं कि संहिता का आदेश 22 किसी मुकदमे में लंबित कार्यवाही पर लागू होता है। लेकिन कानूनी प्रतिनिधियों के परस्पर विरोधी दावों का निर्णय आदेश 22 के नियम 5 के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निष्पादन कार्यवाही में किया जा सकता है। इस न्यायालय ने वी. उथिरापति बनाम अशराब अली [वी. उथिरापति बनाम अशराब अली, (1998) 3 एस. सी. सी. 148] मामले में एक निर्णय में कहा कि एक मुकदमे में उत्पन्न होने वाला सामान्य सिद्धांत-डिक्री पारित होने से पहले-कि कानूनी प्रतिनिधियों को एक विशेष अवधि के भीतर रिकॉर्ड पर लाया जाना है, डिक्री धारक या निष्पादन कार्यवाही में निर्णय-देनदार की मृत्यु के मामलों में लागू नहीं होता है। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:(एस. सी. सी पी.153, पैरा 11-14)

“11. सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 22 नियम 12 इस प्रकार है:

'12. कार्यवाही के लिए आदेश का आवेदन।— नियम 3,4 और 8 में कुछ भी डिक्री या आदेश के निष्पादन की कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।'

12. दूसरे शब्दों में, एक मुकदमे में उत्पन्न होने वाला सामान्य सिद्धांत-डिक्री पारित होने से पहले-कि कानूनी प्रतिनिधियों को एक विशेष अवधि के भीतर रिकॉर्ड पर लाया जाना है और यदि नहीं, तो मुकदमा समाप्त हो सकता है-डिक्री धारक या निर्णय-देनदार की मृत्यु के मामलों में लागू नहीं होता है।

13. वेंकटचलम चेट्टी बनाम रामास्वामी सर्वई [वेंकटचलम चेट्टी बनाम रामास्वामी सर्वई, 1931 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 149: आई. एल. आर. (1932) 55 मैड 352: ए. आई. आर. 1932 मैड 73] मद्रास उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह नियम अधिनियमित करता है कि उपशमन का दंड निष्पादन कार्यवाही से नहीं जुड़ा होगा। सी. पी. सी. पर मुल्ला की टिप्पणी [(खंड। 3) प्र. 2085 (15 वीं संस्करण, 1997)] उच्च न्यायालयों के बड़ी संख्या में निर्णयों को संदर्भित करता है और कहता है:

‘नियम 12 एक ऐसी छूट प्रदान करता है जिसमें यह प्रावधान है कि जहां किसी निष्पादन कार्यवाही के किसी पक्ष की उसके लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, वहां उपशमन के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसलिए, यह नियम डिक्री धारक के लाभ के लिए है, क्योंकि उसके उत्तराधिकारियों को नियम 2 के तहत प्रतिस्थापन के लिए कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कार्यवाही जारी रखने के

लिए तुरंत या किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं या वे एक नया निष्पादन आवेदन दायर कर सकते हैं।'

14. हमारी राय में, सी. पी. सी. पर मुल्ला की टिप्पणी में कानून का उपरोक्त बयान, निष्पादन कार्यवाही में पक्षों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और दीवानी अदालत की शक्तियों से संबंधित कानूनी स्थिति का सही प्रतिनिधित्व करता है।"

10. इसलिए, इस बिंदु पर प्रस्तुत करने से बहुत अधिक बर्फ नहीं कट जाएगी। यदि संहिता के आदेश XXII नियम 3,4 और 8 का कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता है, तो आदेश XXII नियम 4 के तहत दायर एक आवेदन मृत निर्णय देनदारों के प्रतिस्थापन के लिए बाद में आवेदन दायर करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया निर्णीत विषय (रेस-ज्यूडिकाटा) के रूप में कार्य नहीं करेगा। इसके अलावा, पहले का आवेदन केवल प्रतिवादी संख्या 33, 34, 44, 55 और 64 के नाम हटाने के लिए दायर किया गया था, जबकि बाद का आवेदन निर्णीत देनदारियों के प्रतिस्थापन के लिए दायर किया गया है।

11. इस प्रकार, कानून के विशिष्ट प्रावधान के मद्देनजर, निष्पादन कार्यवाही में कोई कमी नहीं होगी और चूंकि निर्णय देनदारों के प्रतिस्थापन के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, उन्हें कार्यवाही के किसी भी चरण में रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है और यदि विद्वान निष्पादन न्यायालय द्वारा कोई समय सीमा प्रदान की जाती है, तो उस समय सीमा के भीतर। यहां पहले अपनाए गए सिद्धांतों के आधार पर, आरोपित आदेश में कोई गलती नहीं हो सकती। इसके अलावा, जिन व्यक्तियों को इस चरण में प्रतिस्थापित करने की मांग की गई थी, उनका मुख्य प्रतियोगी निर्णय देनदारों/प्रतिवादियों प्रथम सेट या प्रतिवादियों द्वितीय सेट से कोई संबंध नहीं है, मैं यह समझने में असफल हूं कि निर्णय देनदारों/प्रतिवादियों प्रथम सेट या प्रतिवादियों द्वितीय सेट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यदि आरोपित आदेश में कोई अवैधता नहीं है, तो याचिकाकर्ता, जो कि निर्णय देनदार हैं, जो प्रतिस्थापन आदेश से प्रभावित नहीं हैं, आरोपित आदेश को चुनौती नहीं दे सकते।

12. इससे पहले उपर की गई चर्चा के आलोक में, मुझे विद्वत निष्पादन अदालत द्वारा अधिकार क्षेत्र में कोई त्रुटि या आक्षेपित आदेश में कोई दुर्बलता नहीं मिलती है और इसलिए, 2008 के निष्पादन मामले संख्या 05 में विद्वत अवर-न्यायाधीश -II, डुमरांव, बक्सर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है।

13. तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

आशीष/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।